विचार बिन्दु

संसार में सबसे दयनीय कौन है? जो धनवान होकर भी कंजूस है। –विद्यापति

सायबर अपराध नियंत्रण के उपाय बताते अदालती निर्देश

डिजिटल समय से पहले, आम आदमी का जीवन ही नहीं सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में भी व्यवस्था धीमी गति से चल रही थी क्योंकि बदलाव सामान्य गति से हो रहे थे और लोग और सिस्टम आसानी से उसके साथ अपना तालमेल बिठा पा रहे थे। लेकिन जिस गति से डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है, उसने पूरे सिस्टम को, जिसमें आम आदमी भी शामिल है, को मुश्किल में डाल दिया है। बहुत से लोग इसके साथ तालमेल बिठाकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि विभिन्न कारणों से बहुत पीछे छूट रहे हैं। सभी की चिंता इस बात की है कि नई, न रुकने वाली और तेजी से बढ़ती हुई उस समस्या से कैसे निपटा जायेजिसे टेक्नोलॉजी ने उनके सामनेलाकर खड़ी कर दी है। डिजिटल दुनिया/सूचना प्रौद्योगिकी ने समाज और आम आदमी का व्यक्तिगत जीवन, देश की अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा बैंकिंग प्रणाली आदि को जबरदस्त प्रभावित किया है। ऐसे में साइबर अपराध भी अचानक सुरसा के मुंह की भांति विराट हो चले हैं। पैसे ठगे जाने, प्रतिष्ठा को गिराने,या बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने, की डिजिटल सेंध के जो मामले सामने आ रहे हैं, वह डराते हैं। साइबर अपराधों से बैंकिंग प्रणाली का झूंझना तो सबके सामने है ही, जहां साइबर अपराधी सिस्टम से बहुत आगे नज़र आते हैं। सभी सावधानियों के बाद भी, डिजिटल अपराधों से निपटने में बैंक मुश्किल में लगते हैं। बैंकों के अधिकतर खाताधारकों की डिजिटल साक्षरता शून्य है, जिससे वे धोखाधड़ी के आसान शिकार बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि साइबर अपराधों से निबटने के लिये कदम नहीं उठाए गए हों। भारत में साइबर कानून, वर्ष 2000 में बनाया गया था। मगर 25 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, पारंपरिक अपराधों को संभालने और जांच करने के लिए प्रशिक्षित पुलिस मशीनरी और जांच एजेंसियां डिजिटल युग की गंभीर चुनौतियों से निपटने में सफल नहीं हो पायी हैं। साइबर अपराधों से निबटने के लिये भारत सरकार ने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाये हैं। यह केंद्र डिजिटल तकनीक का उपयोग करके विभिन्न साइबर और अन्य अपराध से जमा किए गए धोखाधड़ी के पैसे को फ्रीज करने और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए काम करते हैं। भारत सरकार ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी बना रखी है, जो साइबर अपराधियों की मनी ट्रेल पर नज़र रखती है। गृह मंत्रालय ने एक टोल-फ्री नंबर भी बना रखा है जिस पर डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। मगर राज्य पुलिस अभी इसमें पिछड़ रही है। इस मुद्दे पर कुछ समय पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया तो पाया कि इस संबंध में राज्य की एजेंसियां पूरी तरह गृह मंत्रालय पर निर्भर करती हैं। जिस तेज़ी से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे अपराध किए जाते हैं उसके सामने इन अपराधों को समझने और संबंधित इलाके की लोकल पुलिस/साइबर पुलिस को रिपोर्ट करने में लगने वाला समय और उसके बाद गृह मंत्रालय और उसकी एजेंसियों को रिपोर्ट करने के बीच समय के गंभीरअंतर के कारण इसका महत्व खत्म हो जाता है। राज्यों की केन्द्रीय एजेंसियों पर पूरी निर्भरता दिखाती है कि राज्य और उसकी सभी एजेंसियां इन अपराधों को अपने दम पर संभालने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण विस्तृत आदेश देकर बढ़ते साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के वास्ते राज्य सरकार को खुद अपना एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत बताई है, जिससे निगरानी, नियंत्रण, जांच और दूसरे ज़रूरी कदम उठाए जा सकें। अदालत ने माना है कि प्रदेश में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने और जांच करने के लिए डिजिटल विशेषज्ञों और निरीक्षकों की जरूरत है। हालांकि राजस्थान में वर्ष 2024 में साइबर अपराधों से निपटने के लिए महानिदेशक, साइबर अपराध का ऑफिस विशेष रूप से बनाया गया है। मगर, जिस गति और बुनियादी ढांचे के साथ यह ऑफिस काम कर रहा है उससे राज्य में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने, जांच करने और अन्य उपाय करने के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं बन पाई है। राज्य में मेवात जैसे इलाके साइबर अपराधों के गढ़ के रूप में सामने आने के बाद राज्य में ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान जरूर शुरू किए गए हैं, जैसे ऑपरेशन एंटी वायरस, ऑपरेशन साइबर शील्ड आदि। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह रेखांकित किया है कि मौजूदा मशीनरी/सिस्टम न केवल पारंपरिक साइबर अपराधों, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक और ऐसी अन्य तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने राज्य में साइबर अपराध से संबंधित वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उचित सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने निर्देश दिया वे कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी करे तथा यह सुनिश्चित करे उस सेंटर के पास केन्द्रीय इकाई जैसी सभी शक्तियां हों। शिकायत मिलने पर एफआईआर के ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया जाए। संबंधित एफआईआर के इस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देने की व्यवस्था की जाए। यह टिप्पणी करते हुए कि आईटी एक्ट, 2000 की धारा 78 के अनुसार, साइबर अपराधों की जांच इंस्पेक्टर और उससे ऊंचे अधिकारी कर सकते हैं। चूंकि राज्य की पूरी जांच मशीनरी में कोई भी तकनीकी रूप से योग्य, सक्षम और पात्र इंस्पेक्टर नहीं है, इसलिए विशेष रूप से ऐसे इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की जाए जिनके पास साइबर अपराधों को संभालने, मॉनिटर करने, पता लगाने, रोकने और जांच करने के लिए की ज़रूरी आईटी योग्यताएं हों। अदालत ने कहा है कि अगर ज़रूरी हो, तो मौजूदा भर्ती नियमों में ज़रूरी बदलाव किए जाएं या नए नियम बनाए जाएं ताकि आईटी एक्ट के हिसाब से साइबर अपराधों की जांच के लिए आईटी इंस्पेक्टरों की भर्ती की जा सके। सरकारी विभागों, अधिकारियों आदि के लिए डिजिटल ऑडिट के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं कि विभागों के सभी डिजिटल लेनदेन और डिजिटल गतिविधियों का मासिक ऑडिट किया जाए ताकि सरकारी/विभागीय मशीनरी में किसी भी वित्तीय और अन्य डिजिटल धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके और सार्वजनिक धन के गबन को रोका जा सके।

डिजिटल दुनिया/सूचना प्रौद्योगिकी ने समाज और आम आदमी का व्यक्तिगत जीवन को जबरदस्त प्रभावित किया है। ऐसे में साइबर अपराध भी अचानक सुरसा के मुंह की भांति विराट हो चले हैं। पैसे ठगे जाने, प्रतिष्ठा को गिराने,या बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने, की डिजिटल सेंध के जो मामले सामने आ रहे हैं, वह डराते हैं। साइबर अपराधों से बैंकिंग प्रणाली का झूंझना तो सबके सामने है ही, जहां साइबर अपराधी सिस्टम से बहुत आगे नज़र आते हैं। सभी सावधानियों के बाद भी, डिजिटल अपराधों से निपटने में बैंक मुश्किल में लगते हैं।

लोगों को डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बचाने के लिए बुजुर्ग दंपत्ति या कमजोर खाता धारकों के खातों में अचानक किए गए बड़े मूल्य के लेनदेन पर कड़ी नज़र रखने तथा अचानक हुए किसी भी बड़े मूल्य के लेनदेन को देखने पर, खाताधारक के घर पर 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत रूप से दौरा करके संदिग्ध गतिविधि की जांच करने की सलाह देते हुए अदालत ने सरकार से कहा है कि वह डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर अपराधों के बारे में नियमित रूप से लोगों को शिक्षित करने की व्यवस्था बनाए। कमजोर खाताधारक/वरिष्ठ नागरिक द्वारा उच्च मूल्य की एफडी के अचानक उपयोग के लिए, बैंकों द्वारा उचित सावधानी बरती जाने का भी कहा गया है। एसीएस होम, तथा निदेशक अभियोजन, निर्देशदिए गए हैं कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेष लोक अभियोजक, जिसके पास तकनीकी और अन्य ज्ञान के साथ-साथ जिला अदालतों में साइबर अपराधों, मुकदमों और अन्य मुद्दों से निपटने का अनुभव हो लगाया जाए तथा उसके नियमित प्रशिक्षण दिया जाए व उसे अन्य बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ और जयपुर में पीठ के लिए भी एक-एक विशेष पीपी नियुक्त करने का भी अदालत ने कहा है। निदेशक अभियोजन के कार्यालय में एक साइबर कानून सलाहकार लगे, जिसके पास साइबर कानून, साइबर अपराधों और सभी डिजिटल कानूनों की व्यापक समझ हो। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल फोन, ऑनलाइन गेम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह के इस्तेमाल के लिए भी सर्कुलर/एसओपी जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 और अन्य डिजिटल कानूनों का समय पर और सख्ती से पालन/अनुपालन सुनिश्चित करने का कहा गया है। साथ ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य, कानूनी सेवा प्राधिकरण से साइबर सुरक्षा जागरूकता सेल बनाने तथा जागरूकता अभियान शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि, जैसा कि अदालत ने भी माना है, ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और सरकार के विभागों को एक-दूसरे के साथ समन्वय रख कर राज्य के लोगों की डिजिटल सुरक्षा और संरक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसे मुद्दे के अलावा साइबर अपराधों के मुद्दे से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना हैं। किसी भी अच्छे लोकतान्त्रिक शासन में ऐसी व्यवस्थाएं करने के लिये नीति निर्माताओं तथा प्रशासन व पुलिस तंत्र को खुद ही आगे बढ़ कर फैसले लेने की दरकार होती है लेकिन हमारी विडंबन यह है इसके लिये भी अदालतों को सक्रिय होकर राह दिखानी पड़ती है। अब जब अदालत ने एक राह दिखाई है तो आशा की जानी चाहिए कि शासन प्रशासन तत्परता से इन निर्देशों पर अमल करेगा। अनुभव बताता है कि अदालतों के निर्देश आने के बाद भी राज्य मशीनरी की खुमारी टूटती नहीं है। मगर बढ़ते साइबर अपराध ऐसा मुद्दा है जिस पर कठोरता से तटपर कार्यवाही अपेक्षित है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा,
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

सामान्य व्यक्ति के लिए कुरान, हदीस, शरीयत की सरसरी जानकारी

महावीर सिंह

मानव इतिहास में धार्मिक ग्रंथों और ईश्वरीय संदेशों का गहरा प्रभाव रहा है। विश्व की एक बड़ी आबादी के मार्गदर्शक ग्रंथ कुरान, उसके व्यावहारिक रूप हदीस और जीवन पद्धति शरीयत को लेकर अक्सर आम लोगों के मन में कई जिज्ञासाएँ होती हैं।

इस लेख का उद्देश्य यह है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इनमें लिखी अवधारणाओं को, इनके आपसी संबंधों को और आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इनकी स्थिति को समझना सरल हो। कुरान, हदीस और शरीयत तीनों मिलकर इस्लाम की पूरी जीवन-प्रणाली और कानून व्यवस्था का निर्माण करते हैं। कुरान को इस्लामिक जीवन जीने के तौर तरीके का 'संविधान' समझो, हदीस उसकी 'व्याख्या' है, और शरीयत इन दोनों से मिलकर बना 'कानून' है।

1. कुरान (अल्लाह का मूल संदेश) क्या है? यह इस्लाम की सर्वोच्च और सबसे पवित्र किताब है, जो इस्लामिक मान्यतानुसार अल्लाह के हूबहू शब्द माने जाते हैं। जैसा कि हिंदू वेदों के बारे में या यहुदी तोरा या इसाई बाइबल को मानते है। अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्रईल (गैब्रियल) के माध्यम से यह संदेश पैगंबर हज़रत मुहम्मद तक पहुँचाया। इस ईश्वरीय प्रेरणा को वही कहा जाता है। पैगंबर मुहम्मद लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे। जब भी कोई संदेश उतरता, वे उसे अपने साथियों (सहाबा) को सुनाते थे। उनके विशेष लेखक (जैसे ज़ैद बिन साबित) इसे तुरंत खजूर की पत्तियों, पत्थरों और चमड़े पर लिख लेते थे।

आम तौर पर मौखिक से लिखित रूप में आने पर संदेशों में बदलाव की गुंजाइश होती है, लेकिन कुरान के मामले में यह शून्य है, ऐसा इस्लामिक विद्वानों का मानना है। इसके पीछे पैगंबर की विलक्षण याददाश्त, सैकड़ों लोगों द्वारा इसे तुरंत कंठस्थ (हिफ़ज़) कर लेना, और लिखने के तुरंत बाद पैगंबर द्वारा री-चेक (क्रॉस-वेरिफिकेशन) कराना, माना जाता है। पैगंबर के देहांत के बाद, कड़े ऐतिहासिक नियमों और गवाहों के आधार पर इसे एक पुस्तक का रूप दिया गया। कुरान के मुख्य सामाजिक और नैतिक संदेश क्या है? कुरान एक संपूर्ण जीवन-नियमावली है। इसके मुख्य सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं:–

मानव प्रेम और भ्रातृत्व: कुरान पूरी मानवता को एक मानती है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी एक निर्दोष की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या है, और एक जान बचाना पूरी इंसानियत को जीवन देना है।

पड़ोसी के अधिकार: अपने आस-पास रहने वाले लोगों (चाहे वे किसी भी धर्म के हों) के साथ भलाई और सम्मान का व्यवहार करने का सख्त निर्देश है।

महिलाओं का सम्मान: कुरान ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, विवाह में सहमति का अधिकार और पुरुषों के समान न्यायसंगत अधिकार देकर समाज में उनका दर्जा ऊँचा किया।

दान और परोपकार (ज़कात): गरीबों, अनाथों और बेसहारा लोगों की आर्थिक मदद करना इस्लाम का एक अनिवार्य स्तंभ है, जिसे आध्यात्मिक कर्तव्य माना गया है।

जिहाद का वास्तविक अर्थ: जिहाद का अर्थ है संघर्ष। सबसे बड़ा जिहाद अपने भीतर के अहंकार और बुराइयों से लड़ना है। हथियार उठाने की अनुमति केवल आत्मरक्षा और अत्याचार को रोकने के लिए ही है, वह भी कड़े युद्ध-नियमों के दायरे में।

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन: पति-पत्नी के रिश्ते को प्रेम, दया और एक-दूसरे के सम्मान (लिबास) पर टिका हुआ बताया गया है।

शासकों के कर्तव्य: सत्ता को एक जिम्मेदारी (अमानत) माना गया है। शासक का कर्तव्य है कि वह अमीर-गरीब या दोस्त-दुश्मन का भेद किए बिना पूरी तरह से न्याय करे। संक्षेप में कहे तो इसमें जीवन जीने के बुनियादी सिद्धांत, आदेश और नियम संक्षिप रूप में दिए गए हैं। जैसे कि कुरान में आदेश है- "नमाज़ स्थापित करो।"

2. हदीस क्या है? पैगंबर मुहम्मद में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, या जिसके लिए अपनी बोलकर या मूक सहमति दी, उनके संग्रह को हदीस कहा जाता है। हदीस, कुरान के व्यावहारिक रूप को दिखाती है। पैगंबर का जीवन ही कुरान की जीती-जागती व्याख्या था। जैसे कि नमाज़ के आदेश को पूरा करने के लिए पैगंबर ने खुद नमाज़ पढ़कर दिखाई और कहा- "नमाज़ वैसे ही पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते देखा है।" यह विवरण हमें हदीस से मिलता है।

3. शरीयत क्या है? इस शब्द को लेकर और इसकी व्याख्याओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर काफी कुछ सकारात्मक, नकारात्मक, लिखा व सुना जाता है। मोटे तौर पर यों समझे कि यह इस्लामिक जीवन पद्धति और उस से संबंधित कानून, आदेश आदि है। यह कुरान और हदीस को मिलाकर तैयार की गई एक कानूनी और नैतिक नियमावली है। यह एक इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी मामलों यथा इबादत, व्यापार, विवाह, तलाक, विरासत, राजा के कर्तव्य, और न्याय का मार्गदर्शन करती है।

जब कुरान और हदीस से सीधे किसी नए आधुनिक मसले का हल नहीं मिलता, तो विद्वान इज़्मा (विद्वानों की आम सहमति) और क़ियास (तार्किक तुलना) का उपयोग करके शरीयत के दायरे में फैसला लेते हैं। कुरान से सारे बुनियादी नियम निकलते हैं। हदीस उसे सामान्य आदमी के समझने योग्य बनाती है। शरीयत इंसानों को व्यावहारिक जीवन जीने के लिए कानून और शांति का माहौल देती है। बिना हदीस के कुरान को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। बिना कुरान-हदीस के शरीयत का कोई अस्तित्व नहीं है।

कुरान के जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां :- छापेख़ाने से पहली कुरान की अरबी में किताब 1537-38 में इटली के वेनिस शहर में छपीं। इसका विरोध हुआ। मुसलमानों द्वारा कुरान छपाई 1786 में रूस के कजान शहर में हुई। अरबी से भिन्न भाषा में अनुवाद सिंधी भाषा में 09वीं शताब्दी में हुआ। 1143 में लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ। इस से यह समझा जा सकता है कि किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथों को बिना किसी तर्क-वितर्क के मानने वाले रूढ़िवादियों की मानसिकता, आस्थाएं इतनी गहरी, कठोर होती है कि उनके मूल स्वरूप में मात्र भौतिक परिवर्तन करना भी कितना कठिन होता है।

एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधान वाले देश में शरीयत के नियम पूरी तरह से लागू नहीं हो सकते, लेकिन वे नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों में संविधान के दायरे में रहकर लागू हो सकते हैं। संविधान से चलने वाले भारत जैसे देशों में व्यक्तिगत मामलों को यों समझ सकते है कि उनमें विवाह (निकाह), तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना, दत्तक लेने देना, गार्जियनशिप और संपत्ति का बंटवारा (विरासत) आदि शामिल हैं। फौजदारी मामले जिनमें चोरी, हत्या, शारीरिक नुकसान और सजाएं शामिल हैं उन पे संविधान के अंतर्गत बने नियम ही लागू होंगे। शरीयत अथवा हदीस में इन मामलों पर कुछ भी लिखा हो वह लागू नहीं होते।

भारत जैसे देशों का संविधान अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके तहत मुस्लिम समाज को अपने पारिवारिक मामलों को मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के तहत संचालित करने की अनुमति है। अदालतें भी इन मामलों में शरीयत के स्थापित नियमों और संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाती हैं। भारत के संदर्भ में कुछ रोचक बाते है कि मुस्लिम पर्सनल ला एप्लिकेशन एक्ट 1937 जम्मू कश्मीर में और कृषि भूमियों के संबंध में लागू नहीं होता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक पसंद या संवैधानिक हक हकूकों के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है और उसके लिए न्यायालयों में जाकर उन्हें स्थापित करवा सकते हैं। सबसे साधारण उदाहरण है कि कोई दो वयस्क आदमी-महिला, स्थापित निकाह प्रथा के बजाए कार्ट मैरिज कर सकते है। भरण पोषण की मांग की जा सकती है।

चोरी, मर्डर या किसी भी अपराध के लिए शरीयत के फौजदारी कानून जैसे हाथ काटना या पत्थर मारना किसी भी लोकतांत्रिक देश में लागू नहीं होते। इन मामलों में देश का संविधान और दंड संहिता जो अब भारत में भारतीय न्याय संहिता - के नाम से जानी जाती है वही सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।

यदि शरीयत के किसी नियम और देश के संविधान (मौलिक अधिकारों) के बीच कोई विवाद या टकराव होता है, तो हमेशा देश का संविधान ही सर्वोच्च माना जाता है।

शरीयत के कुछ पारंपरिक व्याख्याकारों के अनुसार एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को वैध माना जाता था। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ पाते हुए असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया।

संविधान वाले देशों में मुस्लिम समाज के आपसी पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए दारुल क़ज़ा (शरिया अदालतें) होती हैं। यह कोई सरकारी अदालत नहीं होती और न ही इसके पास किसी को जेल भेजने या सजा देने का अधिकार होता है। यह केवल एक मध्यस्थता केंद्र की तरह काम करता है, जहां दोनों पक्ष आपसी सहमति से पारिवारिक विवाद सुलझाते हैं। अगर कोई पक्ष इसके फैसले से खुश नहीं है, तो वह देश की सरकारी अदालत में जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

कौन से मुस्लिम देशों में शरीयत के अनुसार कानून बने और लागू होते है और कहां नहीं :- अपराधिक मामलों में तुर्क में 1924 से शरीयत लागू नहीं। कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष कानूनों के अनुसार अपराधिक मामलों का फैसला होता है।

अल्बानिया, हर्जेगोविना, इंडोनेशिया (एक उच्चे प्रांत को छोड़ कर) में भी अपराधिक मामले धर्मनिरपक्षता पर आधारित कानून कैदों के अनुसार तय होते है। मलेशिया में संघीय सर्वोच्च न्याय प्रणाली धर्मनिरपेक्ष है। राज्यों के स्तर पर शरिया कानूनों की सीमाएं तय है। बहुत से अफ्रीकी देशों यथा सेनेगल, माली नाइजर आदि में भी अकेले शरिया कानूनों की दंडिक व्यवस्था नहीं है। इन देशों में मिश्रित कानूनी ढांचा है।

लेकिन वर्तमान विश्व में अब भी कुछ देश है जहाँ शरीयत के अनुसार ही अपराधिक मामले तय किए जाते है। ऐसे देश ईरान, अफगानिस्तान यमन, सऊदी अरब, सूडान, मॉरितानिया हैं। पाकिस्तान, कुवैत, कतर संयुक्त अरब अमीरात में अपराधिक व नागरिक मामलों मे शरीयत और यूरोपीय कानूनों का मिलाजुला उपयोग होता है।

सभ्य संसार को कुछ अत्यंत तर्कहीन अमानुषिक दिखने वाले शरीयत वाले दंड:--

अंग के बदले अंग ओर कोड़े लगाने जैसे शारीरिक दंड कानून को किसास (जैसे को तैसा, वाला बदला लेना) कहते हैं। ये मुख्यत पूरी तरह इस्लामिक शरिया कानून वाले देशों में लागू है जैसे सऊदी अरब जहां हाथ काटना, सर्वाजनिक रूप से कोड़े मारना, सिर कलम करना, चोरी पर हाथ काटना के दंड दिए जाते है। हत्या पर 'किसास' होता है अर्थात बदले में मौत। शराब/व्यभिचार पर कोड़े का प्रावधान है। ईरान में हाथ-पैर काटना, कोड़े, पत्थर मारना, अंधा करना जैसे दंड चोरी, डकैती, व्यभिचार, शराबखोरी आदि के मामलों में दिये जाते है। आँख के बदले आँख के केस भी हुए हैं। तालिबानी अफगानिस्तान में हाथ काटना, सरेआम कोड़े/फांसी के दंड चोरी, व्यभिचार, समलैंगिकता मामलों में दिये जाते है। चोरी, शराबखोरी आदि के मामलों में हाथ काटना जैसे दंड उतरी सूडान, उतरी नाइजीरिया, सोमालिया, यमन में भी प्रचलित हैं। ईरान और सऊदी अरब में आंख के बदले आंख का दंड भी है। ईरान में ऐसा दंड दिया गया किंतु संबंधित शिकायत कर्ता लड़की ने माफी दे दी तो माफ कर दिया गया। सऊदी अरब में हत्यारे को भी शिकायत कर्ता खून का पैसा लेकर अर्थात दियत लेकर माफी दे सकता है। एक ओर दंड है सिर्फ सार्वजनिक रूप से कोड़े मारकर दंडित करना। सिंगापुर में तोड़फोड़, ड्रग्स, वीजा ओवरस्टे पर 24 बेंत तक का दंड प्रावधान है। मलेशिया में व्यभिचार, शराब पर कोड़ों का दंड और ब्रुनेई में चोरी पर हाथ काटना, समलैंगिकता पर पत्थर मारने का कानून है। पाकिस्तान में इसी प्रकार के दंडों वाला हुदूद ऑर्डिनेंस है किंतु 1980 के बाद से लागू नहीं। यूएई, कतर, ओमान हाथ काटना बहुत कम और कोड़े/जेल का दंड ज्यादा दिया जाता है।

शारीरिक दंड देने से पहले जरूरी शर्तें बहुत सख्त हैं। इस्लाम में 20 से अधिक शर्तें हैं जैसे– चोरी मजबूरी में न की हो, माल छुपा हुआ हो, 4 गवाह हों, चोर बालिग हो। माफी का ऑप्शन: ज्यादातर 'किसास' केस में पीड़ित परिवार 'दियत' यानी मुआवजा लेकर माफ कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानून: यूएन इन्हें 'अमानवीय दंड' मानता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल विरोध करती है।

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

भरत भूषण तिवारी : एक मृत्यु नहीं, व्यवस्था पर आरोप पत्र

डॉ. नीरज रावत

भरत भूषण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन यह कहना कि उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, सच्चाई से आँख मूँदना होगा। यह मृत्यु उस व्यवस्था पर एक सीधा आरोप है, जिसके खिलाफ वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे। यह केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं, बल्कि उस विश्वास का क्षरण है जो एक नागरिक अपने लोकतंत्र से रखता है।

भरत भूषण तिवारी कोई बड़े पद या सत्ता के व्यक्ति नहीं थे। वे उन लाखों साधारण बिहारी नागरिकों की आवाज़ थे, जो रोज़ाना व्यवस्था की बेरुखी, भ्रष्टाचार और लालफीताशाही से जूझते हैं। वे उन गिने-चुने नागरिकों में थे, जिन्होंने व्यवस्था से सवाल पूछने का साहस किया, वो भी, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आमजन के अधिकारों के लिए। उनकी लड़ाई न धर्म के नाम पर थी, न जाति के नाम पर, और न ही किसी दलगत राजनीति के लिए। वे किसी भी संकीर्ण एजेंडे के वाहक नहीं थे। उनकी एकमात्र मांग थी कि व्यवस्था आम नागरिक के प्रति जवाबदेह बने। विडंबना यही है कि शायद यही उनका सबसे बड़ा दोष था। इस देश में व्यवस्था से जवाब मांगना अक्सर सबसे बड़ा अपराध बन जाता है।

प्रश्न यह नहीं है कि भरत भूषण तिवारी की मुठभेड़ हुई या नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या हमारी व्यवस्था ने उन्हें धीरे-धीरे खत्म कर दिया? क्या यह एक योजनाबद्ध चुप्पी थी, या फिर वही पुरानी लापरवाही, जो अंततः किसी की जान ले लेती है? जब न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी हो जाए कि वह स्वयं अन्याय का रूप ले ले, तब हत्या और उपेक्षा के बीच का फर्क मिट जाता है। भारत की नौकरशाही वर्षों से प्रक्रिया के नाम पर अपनी विफलताओं को छिपाती आई है। फाइलों का अंतहीन चक्र, नोटिंग्स का जाल, और निर्णय लेने की अनिच्छा - ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी करते हैं, जिसमें आम आदमी की आवाज़ दम तोड़ देती है। फाइल चल रही है इस देश का सबसे खतरनाक वाक्य बन चुका है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि काम अभी नहीं होगा।

उदाहरण दूर नहीं हैं। एक किसान अपनी जमीन के मुआवजे के लिए वर्षों तक दफ्तरों के चक्कर लगाता है, लेकिन फाइल प्रक्रिया में ही अटकी रहती है। एक बेरोजगार युवक नियुक्ति पत्र के लिए अदालतों और विभागों के बीच भटकता रहता है, जबकि पद खाली पड़े रहते हैं। अस्पतालों में इलाज के अभाव में लोग मर जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती। हाल के वर्षों में कई जगह पुल गिरने, सड़क धंसने और सरकारी योजनाओं के अधूरे रह जाने की घटनाएं सामने आईं और हर बार जांच बैठती है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन सजा शायद ही किसी को मिलती है।

यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, -बल्कि एक संरचनात्मक बीमारी है- । सबसे बड़ी समस्या है - जवाबदेही का अभाव। कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता। हर विभाग अपनी असफलता को दूसरे पर डाल देता है। यह एक ऐसा तंत्र बन चुका है, जहाँ गलती करना अपराध नहीं, बल्कि उसे छिपाना एक स्थापित परंपरा बन चुकी है। राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका भी कम सवालों के घेरे में नहीं है। सत्ता में बैठे लोग प्रशासन को नियंत्रित करने के बजाय अक्सर उसके साथ समझौता करते नजर आते हैं। भाषणों में सुशासन और पारदर्शिता की बातें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में वही पुरानी ढिलाई और उदासीनता कायम रहती है। सवाल यह है कि क्या हमारे नेता व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, या फिर उसी अव्यवस्था से राजनीतिक लाभ उठाना अधिक सुविधाजनक मानते हैं?

भरत भूषण तिवारी की मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह वही लोकतंत्र है, जिसकी हमने कल्पना की थी? एक ऐसा लोकतंत्र, जहाँ एक जागरूक नागरिक, जो सिर्फ जवाबदेही की मांग करता है, व्यवस्था के बोझ तले दबकर दम तोड़ दे?

आज आवश्यकता है कि प्रशासन का मूलमंत्र स्पष्ट और कठोर शब्दों में तय किया जाए - नागरिक प्रथम। - यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि शासन की आत्मा होना चाहिए- । हर निर्णय, हर नीति, हर प्रक्रिया का केंद्र नागरिक हित होना चाहिए - न कि फाइलें, न नियमों की आड़, और न ही सत्ता की सुविधा।

जनतंत्र में नागरिक प्रथम का वास्तविक अर्थ सिर्फ इतना है कि समयबद्ध सेवा, पारदर्शी प्रक्रिया और स्पष्ट जवाबदेही की व्यवस्था हो। यदि किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं होता, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माना जाए। यदि कोई विभाग काम में लापरवाही करता है, तो दंड सुनिश्चित हो। यदि किसी योजना में भ्रष्टाचार होता है, तो केवल जांच नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई हो।

तकनीक के इस युग में जवाबदेही सुनिश्चित करना असंभव नहीं है। सेवाओं की ट्रैकिंग, समयसीमा का पालन, और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान, ये सब आज आसानी से संभव है। फिर भी यदि व्यवस्था नहीं बदलती, तो इसका अर्थ है कि समस्या क्षमता की नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति की है।

यह केवल शोक का समय नहीं है, यह आत्ममंथन और निर्णायक बदलाव का समय है। यदि भरत भूषण तिवारी की मृत्यु के बाद भी हम नहीं जागे, तो यह केवल एक व्यक्ति की हार नहीं होगी, बल्कि पूरे समाज की पराजय होगी। क्योंकि तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश में व्यवस्था से लड़ना व्यर्थ है। भरत भूषण तिवारी चले गए, लेकिन उनका संघर्ष एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा है। क्या यह व्यवस्था कभी बदलेगी, या फिर हर भरत भूषण तिवारी इसी तरह चुपचाप कुचल दिया जाएगा? इस सवाल का जवाब अब सरकार, प्रशासन और बुद्धिजीवि सम